न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– पीयुष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –61/2021
आर.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2021/87

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
पांचाराम पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी आकेली ए तहसील मेड़ता जिला नागौर राजस्थान		नायब तहसीलदार, मेड़तासिटी, जिला नागौर, राजस्थान

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री भंवरलाल सारस्वत।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय दिनांक 02/05/2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार मेड़तासिटी द्वारा मुकदमा नम्बर–5/2021 सरकार बनाम पांचाराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 27.07.2021 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 211 रकबा 0.02 हैक्टयर वाके मौजा आकेली ए में अपीलान्ट का संवत 2078 में अतिकमण बताकर अपीलान्ट को नोटिस दिया। जिसका जबाब अपीलान्ट ने दिनांक 06.07.2021 को प्रस्तुत कर दिया। उसके पश्चात दिनांक 22.07.2021 को नायब तहसीलदार मेड़तासिटी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध आदेश पारित किया, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व रेकर्ड के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 19 व 19/1702 अपीलान्ट के खातेदारी के खेत है, उसके चिपते ही खसरा नम्बर 211 गैर मुमकिन रास्ता है। इस रास्ते के चिपते ही खसरा नम्बर 254 व 253 अन्य व्यक्ति के खातेदारी के खेत है। जिनका रास्ते की भूमि पर अतिकमण है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उन खेतों का न नाप किया और न ही उनके विरूद्ध रास्ते पर से अतिकमण हटाने की कार्यवाही की। सरपंच के दबाव में आकर आसी रंजिशवश मात्र अपीलान्ट को अतिकमी बताकर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई। जबकि अपीलान्ट की माठ वर्षों से कायम है। अपीलान्ट ने संवत 2078 में किसी भी प्रकार का अतिकमण नहीं किया। अपीलान्ट के खेत से खसरा नम्बर 253 व खसरा नम्बर 254 मौजा आकेली बी लगभग 7 फुट नीचे है और उन खातेदारों का रास्ते की भूमि पर अतिकमण है, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा उनको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया, न उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की। जिससे यह परिचायक है कि मात्र अपीलान्ट को परेशान करने की नियत से औरउसे नुकसान पहुंचाने की नियत से आपसी रंजिस से दुराग्रह से ग्रसित होकर सरपंच ने पटवारी [illegible] कार्यवाही करवायी है।

अपीलान्ट ने दिनांक 06.07.2021 को ही [illegible] कर दिया जिसमें समस्त तथ्यों का उल्लेख किया और नायब तह[illegible] सरपंच अशोक गोलिया को मतदान अपीलान्ट द्वारा नहीं करने से उ[illegible] करवाई है और जब[illegible]सके खेत में से ग्रेवल सड़क का निर्माण क[illegible] रास्ते के चिपते ही ख[illegible]र 253 व 254 के खातेदारों का अतिकमण है, जो उसके पक्ष के लोग है उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की, न ही उनको बेदखल करना चाहता है। सरंपच इस हटधर्मिता पर अडा हुआ है कि खसरा नम्बर 253

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:29:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

व 254 मौजा आकेली ए के खातेदारों के कब्जे यथावत रहेगें और सड़क अपीलान्ट के खेत में से ही निकलेगी। जबकि अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार जी मेड़तासिटी से निवेदन किया कि आप टीम गठित कर मुस्तकिल पोईंट से नाप करवाकर रास्ते का सीमाकंन करवाकर जिन–जिन व्यक्तियों का अतिकमण है, उनका अतिकमण हटावे व मेरा भी अतिकमण निकलता है तो मैं हटाने के लिए तैयार हूँ, परन्तु नायब तहसीलदार ने पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट मांगी, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा पुनः किसी तरह का मौके पर अपीलान्ट के समक्ष मुस्तकिल पोईंट से नाप नहीं किया और घर बैठे ही वापिस दिनांक 20.07.2021 को मनगढ़त तथ्यों के आधार पर ही रिपोर्ट पेश कर दी, जो न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। न्याय का सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश करने से पूर्व उसे सुनवाई का मौका देना चाहिए और समभाव से निष्पक्षता से निर्णय करना चाहिए, लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का की पुनः रिपोर्ट जो अवलोकन से ही निष्पक्ष प्रतीत नहीं होती और न ही उसमें किसी तरह का नाप चौप करने का उल्लेख किया है, न ही नाप चौप किया है, ऐसी स्थिति में मात्र अपीलान्ट को नुकसान पहूंचाने की नियत से ही अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में भूल की है, जो आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के खेत का प्रशिक्षित पटवारी या तहसीलदार या उप तहसीलदार या रेवेन्यू निरीक्षक की टीम गठित कर मौके का यानि अपीलान्ट के खेत का मुस्तकिल पांईट से नाम करवाया जाता है और रास्ता की भूमि का नाप करवाया जाता है तो वास्तविक स्थिति सामने आ जायेगी और टी के द्वारा अगर अपीलान्ट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलान्ट अविलम्ब कब्जा हटाने के लिए तैयार है। परन्तु अपीलान्ट का खेत मौके पर कम है उसने अतिचार नहीं किया और इस आदेश की पालना में उनकी बाड हटा दी जाती है तो उनके संवैधानिक अधिकारों की हत्या होगी और उनके हितो पर भारी कुठाराघात होगा। अधिनस्थ न्यायालय ने जो बिना किसी शहादत सबूत और विधिक प्रकिया अपनाए बिना आदेश पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के खेत का मुस्तकिल पोंईट से नाप करवाकर अपीलान्ट के विरूद्ध कब्जा पाया जाता है तो अतिकमी मानकर कार्यवाही करना न्याय संगत था, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय को टीम गठित कर अपीलान्ट के खेत व रास्ता का सही सीमा ज्ञान करवाने का कथन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 22.07.2021 खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में कथन किया कि प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अतिकमण किया जाना पटवारी हल्का कात्यासनी की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2021 एवं तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी कात्यासनी से पुनः रिपोर्ट चाही गई, जिसमें भी पटवारी कात्यासनी द्वारा अपीलान्ट का उक्त वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अतिकमण होना बताया है। हस्तगत अपील में भी अपीलान्ट के निवेदन पर प्रकरण वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट के अतिकमण के संबंध में तहसीलदार मेड़ता से रिपोर्ट चाही गई, जिसके कम में तहसीलदार मेड़ता द्वारा पत्रांक–1777 दिनांक 22.11.2021 से अपनी रिपोर्ट मय सीमाज्ञान रिपोर्ट भिजवाई है, जिसके अनुसार भी अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर अतिकमण पाया गया है। सीमाज्ञान के समय अपीलान्ट स्वंय मौका पर उपस्थित था, परन्तु सीमाज्ञान रिपोर्ट पर अपीलान्ट ने अपने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर स्पष्ट रूप अतिकमण साबित होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम आकेली [illegible] 0.02 हैक्टयर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा मिट्टी का पाल व [illegible] नाजायज कब्जा किया है, जो पटवारी हल्का कात्यासनी की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2021 जिस [illegible] भू अभिलेख के भी हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट [illegible] रास्ते की भूमि पर नाजायज अतिकमण किया है। इसके पश्चात अपीलान्ट [illegible] में उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत किया। उक्त जबाब के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का कात्यासनी से तथ्यात्मक जाँच रिपोर्ट चाही, जिस पर पटवारी कात्यासनी द्वारा दिनांक 20.07.21 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 16:29:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
कलक्टर, नागौर

नम्बर 211 गै.मु. रास्ता का जो नाप होता है वह मौके पर खुला नहीं होना तथा राजस्व रेकर्ड के नक्शे व वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार अपीलान्ट का अतिकमण होना बताया है।

अपीलान्ट के निवेदन पर न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिका दिनांक 01.11.21 अनुसार प्रकरण में वादग्रस्त गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट के द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया गया है अथवा नही के संबंध में अपीलान्ट की उपस्थिति में मौका देखकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार मेड़ता को निर्देशित किया गया। उक्त संबंध में तहसीलदार मेड़ता द्वारा अपने पत्रांक–भू.अ./सीमाज्ञान/2021/1777 दिनांक 22.11.2021 के साथ सीमाज्ञान रिपोर्ट भिजवाते हुए अवगत कराया है कि *"अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्व टीम का गठन कर स्वंय द्वारा मौके पर दिनांक 19.11.21 को सीमाज्ञान किया गया। खसरा संख्या 211 गै.मु. रास्ता के सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी पांचाराम का बिंदु संख्या B पर खसरा संख्या 211 में अतिकमण पाया गया जो कि 6x70 मी. त्रिभुजाकार स्थिति है, जो नजरिये नक्शा में बिंदु संख्या B, G, H से दर्शाया गया है, जो लगभग 0.02 है. भूमि पर है। अपीलार्थी स्वंय मौके पर उपस्थित था, परन्तु सीमाज्ञान रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया।"* इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से भी अपीलान्ट का वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अतिकमण स्पष्ट रूप से साबित हे।

इस प्रकार पटवारी द्वारा प्रस्तुत दोनों रिपोर्टों एवं तत्पश्चात सीमाज्ञान रिपोर्ट से अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि रास्ते की सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि पर नाजायज अतिकमण किया जाना साबित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मेड़ता को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर,नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.08 15:29:44 IST
Reason: SelfAttested